# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

क्षेत्रीय कार्यालय,

ए–1,प्रथम तल, शॉपिंग काम्पलेक्स सेक्टर–बीटा–2,ग्रेटर नोएडा।

संदर्भ संख्या 55 /सी/जी–85/2016 दिनॉक: 13/04/16

सेवा में,

**मेसर्स जी0के0 फैशन्स प्रा0लि0,**
**प्लॉट नं0–डी–204, 205, ई0पी0आई0पी0, औ0 क्षे0, साइट–5, कासना,**
**ग्रेटर नोएडा।**

**विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।**

महोदय,

कृपया अपने पत्रॉक शून्य दिनॉक : **14.03.2016** के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रॉक **जी– 18/03/16 दिनॉक** 13/4/16 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 **1,2,6,8,9,10,11,12,13,14** पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्त्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी–नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी–नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय–समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष .......... की नवीनतम् बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान–वर्तमान जिम्मेदारियॉ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र का प्रभावी संचालन तथा रख–रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्त्रोत का जल प्रदूषित न हो।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

क्षेत्रीय कार्यालय,
ए–1,प्रथम तल, शॉपिंग काम्पलेक्स सेक्टर–बीटा–2,ग्रेटर नोएडा।
केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

## फार्म XV

## सहमति आदेश प्रपत्र

संदर्भ संख्या निर्गत **जी– 18/03/सहमति/जल आदेश/2016** दिनॉक– 13/04/16

विषय : **मेसर्स जी0के0 फैशन्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0–डी–204, 205, ई0पी0आई0पी0, औद्योगिक क्षेत्र, साइट–5, कासना, ग्रेटर नोएडा** को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा–25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या– **शून्य** दिनॉक : **14.03.2016**

1. जल राशि का सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मेसर्स जी0के0 फैशन्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0–डी–204, 205, ई0पी0आई0पी0, औद्योगिक क्षेत्र, साइट–5, कासना, ग्रेटर नोएडा** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक– : **14.03.2016 से 31.12.2016** तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25–26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

4. **यह सहमति पत्र कटाई एवं सिलाई द्वारा रेडीमेड गारमेन्टस के उत्पादन हेतु मान्य है। वाशिंग, डाइंग आदि प्रदूषणकारी प्रक्रियाऐं अनुमन्य नहीं होगीं।**

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

ग्रेटर नोएडा

सहमति आदेश संख्या..............................सहमति/ दिनॉक......................... का संलग्नक

## सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नही होनी चाहिए ।

| उत्प्रवाह का प्रकार | अधिकतम दैनिक निस्तारण मी | अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी |
|---|---|---|
| (i) घरेलू | 0.8 के0एल0डी0 | |
| (ii) औद्योगिक | शून्य | |
| (अ) प्रकिया जल ब्लीड धोने के जल सहित | | |
| (ब) शीतलन जल | | |

2. ब्लीड जल सहित प्रकिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग–अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नही करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नही करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

| | |
|---|---|
| 20 से0 पर 5 दिन की बी0ओ0डी0 न हो | 30 मिग्रा/ली0 से अधिक |
| कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो | 100 मिग्रा0/ली0 |

4. सभी प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं–173/37/83/19/ए आर ए दिनॉक–06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नही होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

......3

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या–2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या–9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तो का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
    (i) अक्रिय पदार्थ होन पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
    (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
    (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा–3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख–रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्ब, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही दिया जाना चाहिए।

.....4/–

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्पव्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय–समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
23. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्पव्राह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियॉ या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

क्षेत्रीय अधिकारी